POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 10.09.2023

1.थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा टाटा ऐस व ई-रिक्शा में सवार होकर गौतमबुद्धनगर में रात्रि व सुबह के समय एक्सप्रेस-वे, अन्य हाईवे व चौराहो पर लगे सीसीटीवी कैमरो की बैटरी को चोरी करने वाले तूफानी गैंग के 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 54 बैट्री, अवैध हथियार, एक टाटा ऐस गाड़ी, एक ई-रिक्शा, एक इलैक्ट्रिक स्कूटी व अन्य सामान बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 10/09/2023 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा एक्सप्रेस-वे व अन्य हाईवे व चौराहो पर लगे सीसीटीवी कैमरो की बैटरी को चोरी करने वाले 04 अभियुक्त 1- राजकुमार पुत्र सूर्य पंचरत्न कुशवाह 2-तूफानी गुप्ता पुत्र बबेना गुप्ता 3-संदीप गैंसेला पुत्र प्रेमप्रसाद गैंसेला 4-राम सिंह पुत्र माहसिंह को सेक्टर-96, अण्डरपास के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 54 बैट्री, तीन अवैध चाकू, एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक टाटा ऐस गाड़ी रजि0 नं0-डीएल 1 एलएएफ 0289, एक ई-रिक्शा रजि0नं0-यूपी 16 केटी 0712, एक इलैक्ट्रिक स्कूटी रजि0 नं0-डीएल 9 जीडी 1587, एक प्लास, 02 पेचकस बरामद किये गये है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा टाटा ऐस व ई-रिक्शा में सवार होकर गौतमबुद्धनगर में रात्रि व सुबह के समय एक्सप्रेस वे व अन्य हाईवे व चौराहो पर लगे सीसीटीवी कैमरो की बैटरी को चोरी कर लेते थे और उनको कबाडी को बेच देते है। अभियुक्त, दिन के समय ई-रिक्शा में घूमकर सीसीटीवी कैमरो के स्थानों की रैकी करते थे और रात्रि में चारो अभियुक्त मिलकर घटना को अंजाम देते थे। अभियुक्त, अधिकांश खराब मौसम के समय इन घटनाओं को अंजाम देते थे क्योंकि खराब मौसम में बिजली चले जाने के कारण चारो तरफ अंधेरा हो जाता था तथा एक्सप्रेस-वे, हाईवे व चौराहो पर वाहनो का आवागमन भी कम रहता था। अभियुक्तों में से अभियुक्त राजकुमार व अभियुक्त तूफानी गुप्ता, अपने परिवार व समाज की नजर में दिल्ली सब्जी मण्डी तथा फेस-2 सब्जी मण्डी से सब्जी लाने का काम करते है। अभियुक्तों द्वारा अपने गैंग को तूफानी गैंग नाम दिया गया है। अभियुक्तो द्वारा अब तक लगभग 150 से अधिक बैटरी चोरी की गयी है जिसके सम्बन्ध में नोएडा के अलग-अलग थानो पर अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त, मौका लगने पर बैटरी चोरी करते है तथा इकट्ठा होने पर कबाडी को बेच देते है। गैंग के सदस्य कबाडी को वांछित किया गया है। पकडे गये अभियुक्तो के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही भी अमल मे लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राजकुमार पुत्र सूर्य पंचरत्न कुशवाह निवासी ग्राम रघुनाथ पुर, थाना बराहमपुर, जिला बक्सर, बिहार वर्तमान निवासी सेक्टर-135, वजीदपुर, थाना एक्सप्रेसवे, नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र-24 वर्ष।
2. तूफानी गुप्ता पुत्र बबेना गुप्ता निवासी ग्राम पत्थरदेवा, थाना तडपुला, जिला देवरिया वर्तमान पता सेक्टर-135, वाजिदपुर, थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर उम्र-25 वर्ष।
3. संदीप गैंसेला पुत्र प्रेमप्रसाद गैंसेला निवासी बडेथ, पोस्ट तिलखौली मेहर, थाना सतपुडी, जिला पौढी गढवाल, उत्तराखण्ड।
4. राम सिंह पुत्र माहसिंह निवासी ग्राम तालकटौरा पोस्ट गुणा जित्ती, थाना गुराडबोद, जिला अल्मोडा, उत्तराखण्ड वर्तमान निवासी सेक्टर-12/22 चौराहा फुटपाथ गौतमबुद्धनगर उम्र-22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-609/2023 धारा-379 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0-621/2023 धारा-379 भादवि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0-399/2023 धारा-379 भादवि0 थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-166/2023 धारा-379 भादवि0 थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-351/2023 धारा-379 भादवि0 थाना सैक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0-305/2023 धारा-379 भादवि0 थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0-310/2023 धारा-379 भादवि0 थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

8. मु0अ0सं0-382/2023 धारा-379 भादवि0 थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 54 बैट्री
2. तीन चाकू
3. एक तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर
4. एक अदद टाटा ऐस गाड़ी रजि0 नं0-डीएल 1 एलएएफ 0289
5. एक ई-रिक्शा रजि0नं0-यूपी 16 केटी 0712
6. एक इलैक्ट्रिक स्कूटी रजि0 नं0-डीएल 9 जीडी 1587
7. एक प्लास व 02 पेचकस

2.थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 10.09.2023 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान छिजारसी अण्डरपास के पास गिट्टी प्लांट के सामने सेक्टर-63 से अभियुक्त सुनिल उर्फ कासिम पुत्र ओमीलाल को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा राह चलते लोगों को छोटी-छोटी पुडियो में गांजा बेचना।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. सुनिल उर्फ कासिम पुत्र ओमीलाल निवासी गली नं0 01, छिजारसी कॉलोनी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास--

1. मु0अ0सं0 421/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0045/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 3 जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 1068/2021 धारा 380 भादवि0 थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 144/2023 धारा 379/411/414 भादवि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 184/2023 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 284/2023 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 260/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा